



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 1992/माघ 28, 1913
No. 69] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 1992/MAGHA 28, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विस्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1992

सा. का. नि. 98(अ):—केन्द्रीय सरकार, सवापक अधिधि और मनः प्रभावी
पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के अपर सचिव (प्रशा.)^०, राजस्व विभाग, उक्त धारा के प्रावधानों के निम्न विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 820/2/90-नि. अ. व्या. स्वा.]

प्रकाश चन्द्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1992

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Additional Secretary (Admn), Department of Revenue, Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 820/2/90-PITNDPS]

PARKASH CHANDRA, Under Secy.